



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

आदेश सं०: SHSB/GA/HR/2097/2016/.....

पटना, दिनांक:...../01/2019

-:आदेश:-

विज्ञापन सं० 09/2018 के तहत राज्य में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैया कराने हेतु जनहित में सदर अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सक-Ophthalmologist के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से स्तम्भ-7 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित सदर अस्पताल में पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	पिता/पति का नाम	पदस्थापन अस्पताल	मानदेय/ प्रतिमाह (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	18093024	DR. NEHA SINGH, MS	19 Nov 1987	MANOJ KUMAR SINGH	सदर अस्पताल, लखीसराय	1,00,000/-
2.	18093017	DR. CHANDANA KUMARI, MS	18 Nov 1982	DEVENDRA SHARMA	सदर अस्पताल, जहानाबाद	1,00,000/-
3.	18093001	DR. RASHMI KUMARI, MS	1 Nov 1979	SHIV SHANKAR SAHU	सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर	1,00,000/-
4.	18093053	DR. VANDANA PARASAR, MS	26 Jul 1990	AJIT KUMAR SINGH	सदर अस्पताल, सारण	1,00,000/-
5.	18093038	DR. ABHISHEK RANJAN, MS	3 Dec 1980	ASHOK PRASAD	सदर अस्पताल, गया	1,00,000/-
6.	18093034	DR. NARAYAN KUMAR, MS	6 Sep 1979	ANIL KUMAR VERMA	सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण	1,00,000/-
7.	18093052	DR. SWETA BHARTI, MS	3 Jan 1986	P. N. JAISWAL	सदर अस्पताल, पूर्णियाँ	1,00,000/-
8.	18093047	DR. PRIYANKA KUMARI, MS	2 Feb 1988	BIMAL KUMAR	सदर अस्पताल, खगड़िया	1,00,000/-
9.	18093032	DR. MONA LISA, MS	1 Jan 1985	DR. R.P. JHA	सदर अस्पताल, सीतामढ़ी	1,00,000/-
10.	18093019	DR. SONAL SINGH, MS	22 Mar 1984	SHYAM DEO SINGH	सदर अस्पताल, भोजपुर	1,00,000/-
11.	18093010	DR. RAJEEV KUMAR CHOUDHARY, MS	1 Jan 1972	SHASHIKANT CHOUDHARY	सदर अस्पताल, मुंगेर	1,00,000/-
12.	18093026	DR. MD OBAIDUR RAHMAN, MS	10 Dec 1980	MD SHAH MAHMOOD ALAM	सदर अस्पताल, बक्सर	1,00,000/-
13.	18093030	DR. MASRUR ALAM, DNB	9 Dec 1983	SHAHABUDDIN ANSARI	सदर अस्पताल, सहरसा	1,00,000/-
14.	18093025	DR. RANJAN KUMAR, MS	15 Oct 1975	BABAN BHAGAT	सदर अस्पताल, नवादा	1,00,000/-
15.	18093065	DR. SANJEEV KUMAR, MS	1 Jan 1982	DR RAMDEO SHARMA	सदर अस्पताल, मधुबनी	1,00,000/-
16.	18093039	DR. MADHUKAR NANDY, DO	5 Dec 1981	KRISHNA CHANDRA NANDY	सदर अस्पताल, समस्तीपुर	90,000/-
17.	18093031	DR. SHAMSHAD ANWAR, DO	7 Jan 1984	ANWAR HUSSAIN	सदर अस्पताल, सुपौल	90,000/-





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

क्र. सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	पिता/पति का नाम	पदस्थापन अस्पताल	मानदेय/ प्रतिमाह (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7
18.	18093023	DR. DEEPAK KUMAR, DO	28 Jun 1986	CHANDRA BHUSHAN KUMAR	सदर अस्पताल, कैमूर	90,000/-
19.	18093067	DR. RAM KUMAR SATYAPAL, MS	21 Jun 1978	SATYA NARAYAN PASWAN	सदर अस्पताल, औरंगाबाद	1,00,000/-
20.	18093046	DR. VINEETA LAXMI, DO	20 Feb 1980	RAJENDRA PASWAN	सदर अस्पताल, रोहतास	90,000/-

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- दिनांक 31.01.2019 तक उपरोक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने स्तंभ-6 में अंकित पदस्थापन सदर (जिला) अस्पताल में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
- योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए, 1,000/- रुपये का Non Judicial स्ट्याम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 05.02.2019 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।
- यदि सरकारी सेवा में हैं या किसी अन्य संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
- वैसे अभ्यर्थी, जो MD डिग्रीधारी हैं किन्तु MCI/BCMR में निबंधन नहीं करा पाए हैं उन्हें निदेशित किया जाता है कि संबंधित निबंधन नियोजन की तिथि से एक (01) माह के अंदर MD उपाधि का MCI/BCMR में निबंधन कराकर निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मानव संसाधन कोषांग को समर्पित करें एवं मूल निबंधन प्रमाण-पत्र दिखावे अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।
- यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायेगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 (तीन) वर्ष तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



An ISO 9001:2008 Certified Agency

- viii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।
- ix. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
- x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन Ophthalmologist के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित एकमुश्त मानदेय प्रतिमाह का भुगतान FMR code-8.1.3.5 के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य संस्थान से किया जाएगा।
3. सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव/संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के अधीक्षक/उपाधीक्षक नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, सदर (जिला) अस्पताल में रोस्टर ड्यूटी में नाम शामिल कराते हुए रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से मानव संसाधन कोषांग के E-Mail ID: shsbhrcell@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

ज्ञापकः 6906

पटना, दिनांक: 08/01/2019

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक, वित्त/वित्त प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य लेखा प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

